न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 75/2025(GCMS 2025/349)
(RTI No. 212475471221447)

श्री जयप्रकाश हरवानी, निवासी जे–पार्श्वनाथ सिटी, संगरिया पाल बाईपास रोड, जोधपुर, पिन – 342013 (मोबाईल नम्बर 88900–10084)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी **एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

05.01.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी जयप्रकाश हरवानी स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखड अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.10.2024 से छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे दिनांक 05.11.2024 को झूठी सूचना दी है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर में द्वितीय अपील प्रस्तुत की। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना चाही गई थी और उनके द्वारा झूठी सूचना उपलब्ध करवाये जाने पर अपीलार्थी को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी परन्तु अपीलार्थी द्वारा अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत न कर, सीधे ही माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत की है। **इसलिए माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने अपने निर्णय दिनांक 11.07.2025 से अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु यह अपील इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित की है।**

माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग के निर्णय दिनांक 11.07.2025 की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 02.08.2025 को प्रथम अपील पेश की, जो दिनांक 18.08.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त हुई और दिनांक [illegible].08.2025 को दर्ज कर अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी को नोटिस जारी किये। अपीलार्थी इस न्यायालय में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ और लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्र आरटीआई/2025/2009 दिनांक 21.11.2025 से अगवत करवाया है कि उनके द्वारा अपने पत्रांक आरटीआई/जयप्रकाश/2024/1034 दिनांक 05.11.2024 से अपीलार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:45:05 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

को जवाब दिया जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्रांक आरटीआई/जयप्रकाश/2024/1034 दिनांक 05.11.2024 द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

बिन्दु सं.	चाही गई सूचना	प्रत्युत्तर
1	राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश F.2(67)पुर्न0/64 दिनांक 05.02.1979 की प्रति उपलब्ध करवाने वाले तथ्यों की सूचना मय प्रमाण दे।	राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश F2(27)पुर्न0/64 दिनांक 05.02.1979 की प्रति के सम्बन्ध में पूर्व में भी सूचना चाही गई थी जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक पुनर्वास/2020/75 दिनाक 75 दिनांक 28.02.2020 द्वारा प्रति उत्तर प्रेषित किया जा चुका है। इसी क्रम में प्रथम अपीलीय अधिकारी श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा आपकी प्रथम अपील संख्या 70/2020 को उनके निर्णय दिनांक 27.11.2020 द्वारा खारिज किया जा चुका है। इसी क्रम में आपकी द्वितीय अपील संख्या CIC/SGNG/A/ 2020/109711 को श्रीमान सूचना आयुक्त, राजस्थन राज्य सूचना आयोग द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.03.2023 द्वारा खारिज किया जा चुका है।
2	अति0 आयुक्त उपनिवेशन विभाग बीकानेर ने पत्रांक प.5(ए)()उपनि/2007/बी–895 दिनांक 30.05.2024 के द्वारा सूचना दी है कि राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश दिनांक 05.02.1979 की प्रति जिला पुर्नवास अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है। अतः उक्त निर्देश की प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करवाने की सूचना मय [illegible]	इस कार्यालय को अति. आयुक्त ....
3	अति. आयुक्त उपनिवेशन विभाग बीकानेर ने अनुभ[illegible] कार्यालय अति. मुख्य [illegible] आयुक्त गृह विभाग राज. सरकार जयपुर को पत्र प्रतिलिपि दिनांक 30.05.2024 को भेजकर उनके दि0 09.04.2024 के पत्र	[illegible]र्यालय को अति. [illegible] उपनिवेशन बीकानेर [illegible] 5(ए)() उप नि/2007/बी–893 दिनांक 3[illegible].2024 की प्रति संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:45:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

	के सन्दर्भ में सूचना दी है कि उक्त आदेश दिनांक 05.02.1979 की प्रति जिला पुनर्वास अधिकारी श्रीगंगानगर कार्यालय में उपलब्ध है तथा उसकी प्रति प्रार्थी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। प्रार्थी को उक्त निर्देश की प्रति उपलब्ध करवाने की सूचना मय प्रमाण दे।	
4	प्रार्थी ने पीआईओ, उपनिवेशन विभाग जयपुर से आरटीएक्ट के तहत उक्त निर्देश दि0 05. 09.1979 की प्रति मांगी थी। उक्त निर्देश की प्रति उपलब्ध नही करवाने पर सूचना आयुक्त जयपुर ने अपील सं0 cic/jprm/a/2020/101894 to 896 दिनांक 12.05.2022 में निर्णय दिया था कि पत्रावली उपलब्ध नही होने के क्रम में दोषी कार्मिक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवा कर उसकी प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। प्रार्थी ने दिनांक 12.02. 2021 को आवेदन करके उक्त निर्देश दिनांक 05.02.1979 की प्रति मांगी थी जो कि जानबुझकर आदिनांक तक उपलब्ध नही करवाई है। अतः सूचना आयुक्त जयपुर के निर्णय के अनुसार पीआईओ, श्रीगंगानगर/ उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के विरूद्ध पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाने की प्रति मय प्रमाण दे।	आप द्वारा वाछित सूचना उपनिवेशन विभाग जयपुर व पुर्नवास विभाग जयुपर से सम्बन्धित है। उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर का पत्रांक 215 दिनांक 20.07. 2020 व पत्रांक 615 दिनांक 25.06.2024 व आप द्वारा उपलब्ध करवाये गये उपनिवेशन विभाग का पत्र प23(41)उप/2019 जयपुर 26.7.22 की प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।
5	दोषी कार्मिक के विरूद्ध पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाकर उसकी प्रविष्टी उनकी सेवा पुस्तिका में करके उसकी प्रति मय प्रमाण दे।	बिन्दु संख्या 04 के अनुसार
6	सूचना आयुक्त जयपुर द्वारा उक्त निर्णय की पालना करने सम्बन्धित सूचना मय प्रमाण दे।	बिन्दु संख्या 04 के अनुसार

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी का हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:45:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से **यह** अपेक्षित है **कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर** द्वारा अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:45:05 IST
Reason: SelfAttested